

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 39/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1253(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “सीजीएसटी अधिनियम” कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करती है कि संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “उक्त अधिनियमों” कहा गया है) के अधीन, उक्त अधिनियम के आयुक्त द्वारा नियुक्त अधिकारी जो उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजन के लिए समुचित अधिकारी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् “उक्त अधिकारियों” कहा गया है) होने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं, उक्त अधिकारियों की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, की बाबत केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96 के सिवाय इसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय की मंजूरी के लिए उचित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 39/2017 – Central Tax

G.S.R. 1253(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the “CGST Act”), on the recommendations of the Council, the Central Government hereby specifies that the officers appointed under the respective State Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Service Tax Act, 2017 (14 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Acts”) who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the said Acts (hereafter in this notification referred to as “the said officers”) by the Commissioner of the said Acts, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the CGST Act read with the rules made thereunder except rule 96 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 40/2017- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1254(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् ‘उक्त अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं था या कोई